

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 54/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
अमराराम पुत्र छोटाराम जाति जाट निवासी खेरवाड तहसील जायल		1तहसीलदार, जायल। 2प्रमोद कुमार पुत्र शिवदेवराम जाट निवासी खेरवाड तहसील जायल।

आदेश

दिनांक: 21.11.17

वकुलाय उपस्थित। मामले के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 156/15 सरकार बनाम अमराराम में प्रार्थी का ग्राम खेरवाड के खसरा नं. 215 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. मगरा पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली एवं जुर्माना से संबंधित आदेश दिनांक 29.12.15 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं.2 द्वारा जवाब दिनांक 14.11.2017 को प्रस्तुत किया गया।

2. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

2.(1) अपीलांट का जिस भूमि पर कब्जा व उपयोग उपभोग है वो अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है और उक्त भूमि पर अपीलांट के मकान व बाड़े आदि बने हुए हैं तथा मौके पर पिछले 40-50 वर्षों से पक्का निर्माण किया हुआ है और उक्त सम्पति अपीलांट की पुश्तैनी होने के आधार पर ही अपीलांट के नाम पट्टा जारी किया हुआ है जो पट्टा आज दिन तक अस्तित्व में है। जिससे अपीलांट के द्वारा अतिक्रमण किया जाना किसी भी प्रकार से साबित नहीं था। इसके अलावा इस खसरे पर काफी मकान बने हुए हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व तथ्य की भूल करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है।

2.(2) न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर ने उक्त प्रकरण जिस ऑबजरवेशन के तहत रिमाण्ड किया था। उन ऑबजरवेशन के बाबत अधीनस्थ न्यायालय ने कोई पालना नहीं है।

2.(3) अपीलांट का विवादित भूमि पर मौके पर पिछले 40-50 वर्षों से पक्का निर्माण किया हुआ है और उक्त सम्पति अपीलांट की पुश्तैनी होने तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय अपीलांट के पक्ष में होने से प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी इसी में है कि अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट

Page 1 of 3



अपर कलक्टर, नागौर

मौके की यथास्थिति बनाये रखे। यदि रेस्पोंडेन्ट गलत प्रकार से अपने निर्णय के आधार पर अपीलांट को मौके पर से बेदखल करने में सफल हो जाते हैं तो अपीलांट के वर्षों से की गयी मेहनत और निवेश समाप्त हो जायेगा तथा अपीलांट को मौके पर से बेदखल करने से उसको जो क्षति होगी उसकी पूर्ति किसी भी मोद्रिक रूप में संभव नहीं होगी। जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। जिससे अपील के निर्णय तक अपीलांट को मौके पर से बेदखल करने से रेस्पोंडेन्ट को रोका जाना न्यायोचित है।

3. अप्रार्थी सं. 2 प्रमोद कुमार के अधिवक्ता द्वारा बताया कि—

3(1) प्रार्थी की अपील बनावटी व झूठे तथ्यों के आधार पर होने से खारिज होने योग्य है।

3(2) खसरा नं. 215 मौजा खेरवाड सरकारी भूमि है। जो सार्वजनिक हितों की भूमि है। जिस भूमि में ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता भी है और पानी बहाव का क्षेत्र है। जिस भूमि पर प्रार्थी ने नाजायज रूप से 5 बिस्वा भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके उक्त भूमि में चलने वाले रास्ता को अवरोध कर रखा है। जिससे आम जनता का आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई तो ग्रामीणों ने जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अवैध अतिक्रमण हटाने बाबत आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर प्रार्थी के खिलाफ विधि अनुसार कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वजों का कोई हक व स्वामित्व नहीं है और न ही कानूनी रूप से बनता है। उक्त भूमि सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पर प्रार्थी को किसी भी तरह का कब्जा व अतिक्रमण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है और इस आवेदन पत्र के तहत स्वामित्व भी नहीं दिया जा सकता तथा उक्त भूमि राजस्व रेकॉर्ड से सरकारी भूमि होना साबित है और सरकारी भूमि पर प्रार्थी के द्वारा अवैध अतिक्रमण करना साबित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अतिक्रमी की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। उक्त भूमि सार्वजनिक हितों की भूमि है। जो पानी बहाव का क्षेत्र भी है और उक्त भूमि रास्ते के रूप में भी उपयोग एवं उपभोग आ रही है। इसलिये धारा 16 के अनुसार सार्वजनिक हितों की भूमि का न तो आवंटन किया जा सकता है और न ही खातेदारी अधिकार दिया जा सकता है। प्रार्थी मात्र एक अतिक्रमी है और अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। रेस्पोंडेन्ट व अन्य ग्रामीणों ने अवैध अतिक्रमण को हटाने बाबत शिकायत की जिससे प्रार्थी नाराज हो गया और नाराजगी की वजह से उक्त भूमि पर पत्थर डालकर व कच्चे पत्थरों की दीवार बनाकर और अधिक नया अतिक्रमण कर लिया गया। जबकि उक्त भूमि सरकारी भूमि है और सरकारी भूमि पर प्रार्थी को कोई किसी तरह का कब्जा करने का व अतिक्रमण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी के द्वारा अतिक्रमण करना पूर्ण रूप से साबित है और अतिक्रमी को बेदखल किया जाना उचित व न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3(3) न्यायालय हाजा ने जिस ओबजरवेशन के तहत रिमाण्ड किया था। उसकी पालना की गई है और प्रार्थी अपीलांट का अतिक्रमण पाये जाने पर विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है।

3(4) अपीलांट ने सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है और दिनोदिन नया अतिक्रमण कर रहा है। कोई पुराना कब्जा नहीं है और न ही पुस्तेनी है और न ही स्वामित्व की भूमि है बल्कि सरकारी भूमि है जो राजस्व रेकॉर्ड से साबित है और सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को कानूनी रूप से हटाया जाना उचित है। प्रार्थी का कोई किसी तरह का हक व अधिकार निहित नहीं होता है और न ही कानूनी रूप से बनता है। ऐसी स्थिति में मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। बल्कि उक्त भूमि सरकारी भूमि है और सार्वजनिक हितों की भूमि है। अगर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाता है तो प्रार्थी को कोई किसी तरह का हक व अधिकार व स्वामित्व नहीं है और न ही बनता है। अगर प्रार्थी का अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो दिनो दिन सरकारी भूमियों पर भू माफिया अवैध अतिक्रमण करेगे और आम जनता को सार्वजनिक हितों से वंचित रखेगे और संपूर्ण भूमि पर अन्य लोग भी कब्जा करेगे जिससे आम जनता का




अपर कलक्टर, नागौर

- आवागमन के सारे रास्ते बंद हो जायेगे जिससे वाद विवाद बढ़ेगे ऐसी स्थिति में अवैध अतिक्रमण को हटाया जाना उचित है। ताकि सरकारी भूमि व सार्वजनिक हितों की भूमि हमेशा हमेशा के लिये सुरक्षित रह सके और सरकार व आम जनता के हितों के लिये उपयोग व उपभोग में आ सके। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा राजकीय सार्वजनिक भूमि होने से अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही ही समुचित विकल्प है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2004(2) पेज 918 से 921 तथा आरआरटी 2006-07 (Supp.) पेज 279 से 283 नजीरे पेश की है।
4. उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 156/2015 सरकार बनाम अमराराम में पारित निर्णय दिनांक 29.12.15 के तहत मौजा खैरवाड के खसरा नं. 215 रकबा 0.05 बीघा आराजी भूमि से वेदखली से संबंधित आदेश से असंतुष्ट होकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में आराजी भूमि राजकीय भूमि है तथा प्रथम दृष्टया प्रार्थी का मामला नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजकीय भूमि से ही अतिक्रमण हटाये जाने को लेकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसे स्थगित किये जाने को लेकर टोस आधार पत्रावली पर नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में स्थगन जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।
6. आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
अपर कलेक्टर, नागौर